<u>विधान सभा प्रश्न</u>

विभाग का नाम	:	राजस्व
प्रश्न संख्या तारांकित	:	5170
उत्तर की तिथि	:	15—03—2022
विषय	:	किसान सम्मान निधि
प्रश्नकर्त्ता का नाम	:	श्री विशाल नैहरिया (धर्मशाला)
सम्बन्धित मन्त्री	:	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) यह सत्य है कि सरकार ने कुछ किसानों को किसान सम्मान निधि की रिकवरी हेतु पत्र जारी किये हैं; और (ख) यदि हां, तो किन किसानों से सम्मान निधि की रिकवरी की जा रही है; ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 5170, जोकि श्री विशाल नैहरिया (धर्मशाला) द्वारा किसान सम्मान निधि बारे पूछा गया, के उत्तर बारे सूचनाः–

(क) जी हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत जारी दिशा निर्देश दिनांक 29.03.2020 के पैरा 4, (Exclusion) जिसका उद्धरण निम्न प्रकार से है, के अनुसार अपात्र किसानों /श्रेणी से रिकवरी की जा रही हैः

पैरा 4 : बहिष्करण की शर्त (Exclusion Criteria)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत निम्न श्रेणी को अपात्र माना गया हैः–

(क) सभी संस्थागत भूमि धारक;

(ख) किसान परिवार जिनमें एक या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्धित हैः–

(i) संवैधानिक पदों के पूर्ण और वर्तमान धारक।

(ii) पूर्व और वर्तमान मंत्री/ राज्य मंत्री और पूर्व/ वर्तमान सदस्य लोकसभा/ राज्यसभा/राज्यविधानसभाएं/ राज्य विधानसभाएं काउंसिल, नगर निगमों के पूर्ण और वर्तमान मेयर, पूर्ण और जिला पंचायतों के वर्तमान अध्यक्ष।

(iii) केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्र इकाइयों केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के

अधीन और साथ ही नियमित रुप से संलग्न कार्यालय / स्वायत संस्थान के सभी सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी।

(iv) स्थानीय निकायों के कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी को छोड़कर) सभी सेवानिवृत / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु 10,000 / से अधिक है(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी को छोड़कर)।

(v) पूर्व वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।

(vi) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत है।

(ग) पीएम–किसान पोर्टल पर नए लाभार्थियों को अपलोड किए जाने के मामले में, सभी भूमि धारक किसान परिवार जो अनिवासी भारतीय हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार योजना के तहत किसी भी लाभ से बाहर रखा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 03–03–2022 तक कुल 17,33,95,94,000 / –रू की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें से कुल आयकर दाता व अपात्र लाभार्थी 21,367 (क्रमशः12528+8839) है जिनसे कुल मु0 21,62,50,000 / –रू (क्रमशः 12,50,44,000+9,12,06,000) की राशि वसूल की जानी है और अभी तक 9,04,32,000 / – की वसूली की जा चुकी है तथा मु0 12,58,18,000 / – की वसूली की जानी शेष है।

Payment recovery from income tax payee farmer's upto 03-03-2022

District Name	Total no. of Income tax payee farmer(excluding Ineligible)	Total Fund received by Income tax payee farmer	Recovered Amount
BILASPUR	1162	11100000	5356000
CHAMBA	429	4272000	4016000
HAMIRPUR	1009	9934000	5124000
KANGRA	2671	26544000	17866000
KINNAUR	56	584000	556000
KULLU	787	8478000	5090000
LAHAUL AND SPITI	34	350000	350000
MANDI	2080	20640000	11700000
SHIMLA	725	7382000	5742000
SIRMAUR	570	5500000	2914000
SOLAN	1652	16802000	7724000
UNA	1353	13458000	6250000
Total	**12,528**	**12,50,44,000**	**7,26,88,000**

Payment recovery from ineligible farmer's up to 03-03-2022

District Name	Total no. of Ineligible farmer	Total Fund received by Ineligible farmer	Recovered Amount
BILASPUR	575	7392000	1816000
CHAMBA	194	1914000	702000
HAMIRPUR	149	2202000	104000
KANGRA	1268	17038000	4856000
KINNAUR	468	1710000	332000
KULLU	678	8878000	810000
LAHAUL AND SPITI	32	360000	348000
MANDI	1903	19416000	4152000
SHIMLA	461	3900000	1714000
SIRMAUR	1889	11928000	1030000
SOLAN	493	6962000	1040000
UNA	729	9506000	840000
Total	**8,839**	**9,12,06,000**	**1,77,44,000**